

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2013 /ज्येष्ठ 8, 1935

No. 2601

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2013/JYAISTHA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसुचना

मुंबई, 7 जनवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 344(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।
- (ii) ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में से मौजूदा परंतुक हटा दिया जाएगा।

3. अनुसूची 1 में संशोधन

म्ल विनियमावली की अनुसूची 1 के संलग्नक बी में मौजूदा क्रमांक 17 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

17	परिसंपति पुनर्नि	र्माण कंपनियाँ	
17.1	'परिसंपति पनर्निर्माण कंपनी' (ARC) का	परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी की सरकारी	
	तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो वितीय	प्रदत्त पूँजी का 74% { प्रत्यक्ष	
	परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण	विदेशी निवेश और विदेशी	
	तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002	संस्थागत निवेश (FDI & FII)	
	(SARFAESI Act) की धारा 3 के अंतर्गत	}	
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है ।		

17.2	अन्य शर्तैः
	(i) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपति
	प्नर्निर्माण कंपनी की पूँजी में केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है । ऐसे
	नितेश पत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति के ही होने चाहिए ।
	(ii) किसी भी पतर्वक को परिसंपति पनर्निर्माण कंपनी की 50% से अधिक शेयरधारिता का
<u> </u>	अनमति नहीं होगी चाहे वह प्रत्यक्ष विदेशी निवंश के माफत है। अयवा विदेशी
	संस्थागत निवेश के रूप में हो। परिसंपति पुनर्निमीण कपनी में विदेशी निवेश प्रवेश
	मार्ग संबंधी शर्तों और सेक्टोरेल कैप के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, किसा एक
	विदेशी संस्थागत निवेशक की कुल शेयरधारिता परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी की कुल
	प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक नहीं होगी ।
	(iii) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकत विदेशी संस्थागत निवेशक
	रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपति प्नर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदा
	में निवेश कर सकते हैं । विदेशी संस्थागत निवेशक परिसंपति पुनर्निमीण कपनिया द्वारा
	जारी प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक शृंखला के प्रदत मूल्य के 74% तक निवेश
	कर सकते हैं।
	(iv) 10% से अधिक का कोई एकल निवेश वितीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण और
	पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा
	3 (3) (एफ) के परंतुक के अधीन होगा ।

4. अनुसूची 5 में संशोधन

पैराग्राफ 1 में मौजूदा खंड (ई) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

" (ई) परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें बशर्ते सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की समग्र कुल शेयरधारिता परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक शृंखला के प्रदत्त मूल्य के 74% से अधिक नहीं होगी ।"

> [सं. फेमा. 254/2013-आर बी] रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद	टिप्पणी	:-
-----	---------	----

पाद टिप्पणी :	×
मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3,	, उप खण्ड (i) में 8 मइ, 2000 के
जी.एस.आर. सं.406(ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निव	न्नितिखेत द्वारा संशाधित का गया याः
02.03.2001 के जीएसआर सं.158 (ई)	29.07.2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
13.03.2001 के जीएसआर सं.175 (ई)	22.12.2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
14.03.2001 के जीएसआर सं.182 (ई)	19.01.2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
02.01.2002 के जीएसआर सं.4 (ई)	11.07.2006 के जीएसआर सं.413(ई)
19.08.2002 के जीएसआर सं.574 (ई)	14.11.2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
18.03.2003 के जीएसआर सं.223 (ई)	14.11.2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
18.03.2003 के जीएसआर सं.225(ई)	29.11.2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
22.07.2003 के जीएसआर सं.558 (ई)	05.08.2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
23.10.2003 के जीएसआर सं.835 (ई)	30.12.2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
22.11.2003 के जीएसआर सं.899 (ई)	01.12.2009 के जीएसआर सं.851 (ई)
07.01.2004 के जीएसआर सं.12 (ई)	21.04.2010 के जीएसआर सं.341 (ई)
23.04.2004 के जीएसआर सं.278 (ई)	03.08.2012 के जीएसआर सं.606 (ई)
16.07.2004 के जीएसआर सं.454 (ई)	10.12.2012 के जीएसआर सं.821 (ई)
21.09.2004 के जीएसआर सं.625 (ई)	30.10.2012 के जीएसआर सं.796 (ई)
08.12.2004 के जीएसआर सं.799 (ई)	30.10.2012 के जीएसआर सं.797 (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.201 (ई)	के जीएसआर सं (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.202 (ई)	30.10.2012 के जीएसआर सं.795 (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.504 (ई)	के जीएसआर सं (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.505 (ई)	के जीएसआर सं (ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 344(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 3, 2000) (herinafter called "Principal Regulations") namely:-

1. Short Title & Commencement

These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2013.

- (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Regulation 5, in sub-regulation 2, the existing proviso shall be deleted.

3. Amendment of Schedule 1

The existing entry 17 in Annex B to Schedule 1 to the Principal Regulations shall be substituted with the following:

17	Asset Reconstruction Companie		
17.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).	74% of paid-up capital of ARC (FDI & FII)	Governmen
17.2	Other conditions:		
	 (i) Persons resident outside India, can in Reconstruction Companies (ARCs) regist only under the Government Route. Substrictly in the nature of FDI. (ii) No sponsor shall be permitted to his shareholding in an ARC either by way of FII. The foreign investment in ARCs are route conditionality and sectoral caps. How of an individual FII shall not exceed 10% of the ARC. (iii) FIIs registered with SEBI can invest in issued by ARCs registered with Reserve If 74% of the paid up value of each transfered with the ARCs. (iv) Any individual investment of more the provisions of section 3(3) (f) of Securitization and Assets and Enforcement of Securitization and Assets and Enforcement of Securitization. 	nold more than FDI or by routing the total paid the Security Researcher of scheme an 10% would	eserve Bank is have to be a 50% of the ng through an apply with entry shareholding l-up capital of eceipts (SRs) invest up to of Security be subject

4. Amendment to Schedule 5

In Paragraph 1, the existing clause (e) shall be substituted as under:

"(e) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the

total holdings of all FIIs put together shall not exceed 74% of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies;"

[No. FEMA. 254/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005

G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No.821(E) dated 10.12.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No dated
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No dated G.S.R.No dated
G.S.R.No dated